न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

क.सं.	निगरानी संख्या	प्रार्थीगण	बनाम्	अप्रार्थीगण
1.	11/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव 2.जियन्द पुत्र हसण जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव
2.	12/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव 2.अचार पुत्र कमाल जाति मुसलमान निवासी नीम्बासर तहसील शिव
3.	14/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव 2.हसन पुत्र मारू जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव
4.	19/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव 2.चम्पाराम पुत्र कोजाराम जाति भील निवासी पीथोरानगर (जोरानाडा)तहसील शिव
5.	20/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये ग्राम सरपंच पंचायत शिव 2.पीराराम पुत्र कोजाराम जाति भील निवासी पीथोरानगर (जोरानाडा)तहसील शिव
6.	22/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव 2.मोमद पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव
7.	23/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव 2.गुलाब पुत्र हसण जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

8.	25/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव 2.समन पुत्र हसण जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव
9.	26/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायंत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव 2.साकराराम पुत्र कोजाराम जाति भील निवासी पीथोरानगर (जोरानाडा)तहसील शिव
10.	27/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव 2.कोजाराम पुत्र सेवाराम जाति भील निवासी पीथोरानगर (जोरानाडा)तहसील शिव
11.	28/2017	मुबारक खां पुत्र गागन खां जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत शिव जरिये ग्राम सरपंच पंचायत शिव 2.भाखराराम पुत्र कोजाराम जाति भील निवासी पीथोरानगर (जोरानाडा)तहसील शिव

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम वास्ते निरस्त करने पट्टा संख्या 42,43,31,32,27,28,41,40,33,34 एंव 29 दिनांक 06.06.2011जो सरपंच ग्राम पंचायत,शिव द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः—1.श्री छैलसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2.श्री सुनील के मेराजा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या सं.02 जियन्द, अचार,मोमद, गुलाब,समन की ओर से।
3.अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत एंव अप्रार्थी सं. 02 हसन, चम्पाराम,पीराराम, साकराराम,कोजाराम एंव भाखराराम एक तरफा।

निर्णय दिनांक 28.02.2018

1. इन सभी निगरानीयों में एक समान तथ्य एंव एक ही विवाद बिन्दु होने से इनका निस्तारण संयुक्त निर्णय से किया जा रहा हैं। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।
2. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी आवासीय भूखण्ड का पट्टा 42,43,31,32,27,28,41,40,33,34 एंव 29 दिनांक 06.06.2011 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने सरपंच ग्राम पंचायत शिव के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम पंचायत शिव की आबादी भूमि में भूमि का विक्रय विलेख प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिये भूमि का विक्रय विलेख–पट्टा जारी किया जाए। इस पर ग्राम पंचायत,शिव ने पत्रावली कायम कर भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 का पुराना कब्जा होना बताते हुए नियम 157(ख) के तहत भूखण्ड का पट्टा जारी कर दिया। प्रार्थी का यह कथन है कि पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत जॉच एंव निर्धारित प्रकिया नहीं अपनाकर अपने रिश्तेदारों को एक से अधिक पट्टे जारी किये है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टे खारिज किये जाए।

4. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत शिव से जारी पट्टों से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया। अप्रार्थी संख्या जियन्द, अचार, मोमद,गुलाब,समन ओर से अधिवक्ता श्री सुनील के मेराजा उपस्थित हुए जिन्हें जवाब हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया,फलस्वरूप जवाब बन्द किया गया।

5. अप्रार्थी हसन,चम्पाराम,पीराराम,साकराराम,कोजाराम एंव भाखराराम बावजूद नोटिस तामिल हाजिर नहीं आने के फलस्वरूप एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये।

6. प्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रार्थी जोरानाडा तहसील शिव का मूल निवासी एंव ग्राम पंचायत बलाई का रहवासी है। प्रार्थी के पास अपने परिवार के रहवास हेतु कोई पट्टा सदा परिसर नहीं होने के कारण प्रार्थी ने वर्तमान ग्राम पंचायत बलाई के समक्ष जोरानाडा में उपलब्ध भूमि में से पट्टा जारी करने का निवेदन किया तब प्रार्थी को अप्रार्थी एंव उसके परिवार के सदस्यो के नाम से पूर्व में ही नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने की जानकारी हुई है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में अप्रार्थी संख्या 02 को बिना किसी कब्जे के अवैध व अनुचित तरीके से दिनांक 06.06.2011 को पट्टे दिये गये है, जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 का कोई कब्जा या रहवास नहीं है। ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी पट्टो की प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय एंव ग्राम पंचायत की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिस व्यक्ति का मकान/भूखण्ड पर बहुत पुराना कब्जा हो उसको नियम 157(ख) के तहत पट्टा जारी किया जाता है। वादग्रस्त भूखण्डों पर अप्रार्थी संख्या 02 का आधिपत्य एंव कब्जा नहीं है, और मौके पर किसी के मकान बने हुए नहीं है। अप्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क 25/–जमा नहीं करवाये है। अप्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में भूमि का विवरण अंकित नहीं किया। ग्राम पंचायत ने नियमानुसार मौका गठन नहीं किया है जो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी है वह निर्धारित प्रपत्र. में नहीं है। रिपोर्ट में निर्मित मकान का उल्लेख नहीं है। आपतियां आमंत्रित करने हेतु ग्राम पंचायत ने जो नोटिस जारी किया है,उस नोटिस की प्रतियां किस किस स्थान पर चस्पा की गयी है यह स्पष्ट नहीं है। उन्होने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत ने पुराना कब्जा मानते हुए अप्रार्थी के हक में पट्टा जारी किया है जबकि नियम 157(ख) के तहत 50 वर्षो से अधिक पूर्व निर्मित मकानो के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पट्टे जारी किये जा सकते है। उन्होने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत शिव ने एक परिवार को एक से अधिक पट्टे जारी किये है। ग्राम पंचायत शिव ने नियम 145 से 157 की पालना नही कर निर्धारित प्रकिया अपनाये बिना दिनांक 06.06.2011 को पट्टे जारी किये है,जो नियम विरूद्ध एंव गलत होने से खारिज किये जाए।

7. अप्राथी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि यह निगरानी प्रार्थी ने ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी पट्टो को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई, जिन्हें यह निगरानी प्रस्तुत करने का कानूनन अधिकार नहीं है इससे यह निगरानी प्रथम दृष्टतया निररत योग्य है। प्रार्थी ने यह निगरानी छः वर्ष बाद पेश की है। मियाद को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है। इसलिये निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज की जाए। उन्होने तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने पुराने कब्जे की भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत शिव के समक्ष आवेदन पेश किया, जिस पर पत्रावली कायम कर मौका निरीक्षण करने का आदेश पारित किया। आपतियां पेश करने के एक माह बाद नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी का पुराना कब्जा होने के कारण सभी भूखण्डों पर नियमानुसार शुल्क लेकर नियम 157(ख)के तहत पट्टे जारी किये गये है जो सही है। अप्रार्थी का इन भूखण्डो के अलावा कहीं पर भी भूखण्ड नहीं है। अप्रार्थी अपने बने हुए मकानो पर परिवार सहित रहवास कर रहे है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध दुर्भावना से ग्रसित होकर रिविजने पेश की हैं। ग्राम पंचायत शिव द्वारा समस्त विधिक प्रकिया का पालना करते हुए नियम 157(ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है। इसमें नियमों की अवहेलना एंव अनियमितता नहीं हुई है। इसलिये प्रार्थी की निगरानी मियाद बाहर होने, मियाद का प्रार्थना पत्र नहीं होने,बिना अधिकार के प्रार्थी को निगरानी पेश करने का अधिकार नहीं होने से निगरानी मय भारी हर्जा व खर्चा के खारिज फरमाई जाए।

8. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। निगरानी पत्रावली, ग्राम पंचायत शिव से प्राप्त रेकार्ड एंव तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत शिव ने अप्राथी संख्या 02 के हक में नियम 157(ख) के तहत 1350 वर्ग फीट भूमि के पट्टा संख्या 42,43,31,32,27,28,41,40,33,34 एंव 29 दिनांक 06.06.2011 को खारिज करने हेतु प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अप्रार्थी संख्या 02 ने सरपंच ग्राम पंचायत शिव को पट्टा जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर मौका निरीक्षण करने के आदेश दिये है, मगर बैठक कार्यवाही रजिस्टर में इन भूखण्ड बाबत मौका निरीक्षण कमेटी नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण के खर्च के 25/'रूपये की राशि जमा करानी चाहिये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25/—जमा कराने चाहिये। मगर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा राशि जमा करवाने का कोई साक्ष्य पंचायत की पत्रावली में नहीं है। पंचायत की पत्रावली में कोई नजरी नक्शा नहीं है। नियम 146 के तहत 3 पंचों की समिति

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रतिनियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है। जो इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लॉज क से ड़ में वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगीं। पत्रावली पर मौका निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में नहीं है और मौका निरीक्षण रिपोर्ट में भूखण्ड पर अप्रार्थी का कितने वर्षो से कब्जा है एंव अप्रार्थी संख्या 02 का मकान बना हुआ है इसका भी अंकन नहीं किया गया है। नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक से पूर्व समिति में अन्तिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्ररूप 2 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आंमत्रित करने हेतु प्रकाशित करना था। इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थीं। इन मामलों में नोटिस जारी किये गये है, मगर नोटिस की प्रतियां किस किस स्थान पर चस्पा की गयी है इसका अंकन नोटिस पर नहीं है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को यह पट्टा नियम 157(ख) पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत जारी करना बताया है। मगर पंचायत ने बैठक कार्यवाही रजिस्टर में इन नियमों के अन्तर्गत पट्टा जारी करने का कोई प्रस्ताव पारित करने का साक्ष्य नहीं है। ग्राम पंचायत शिव से बैठक कार्यवाही रजिस्टर तलब करने पर बैठक कार्यवाही ग्राम पंचायत शिव में उपलब्ध नहीं होना बताया है। नियम 157(ख) पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत इन नियमो के लागू होने की तिथि से 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु पट्टा जारी करने का प्रावधान है। मगर इन मामलों में मौका कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मकान निर्मित होना और पुराना मकाना होना नहीं बताया है। नियम 168 (1) के अनुसार समस्त विक्रयों का जिनके लिये पट्टे जारी किये जाये,अभिलेख पंचायत द्वारा प्ररूप में रखी गयी पट्टा बही में रखा जायेगा। उप नियम(2) के अनुसार पंचायत,सम्बन्धित पंचायत समिति के विकास अधिकारी को प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में पट्टा बही की एक प्रति अग्रेषित करेगी और उप नियम(3) के अनुसार पंचायत समिति पट्टो को अपने स्तर पर तीन प्रतियो में मुद्रित करायेगी। ऐसे सभी पट्टों पर पुस्तक संख्या तथा क्रम संख्या अंकित की जायेगी तथा पट्टे की पहली परत आवंटिती को जारी की जायेगी,दूसरी परत पंचायत समिति कार्यालय में रखी जायेगी और तीसरी परत रिकॉर्ड के लिये पंचायत समिति में भेजी जायेगी। मगर ग्राम पंचायत ने जारी पट्टा की कोई प्रति साक्ष्य के रूप में पेश नहीं की है और न ही पट्टा बही उपलब्ध करायी है। प्रार्थी का यह कथन कि वादग्रस्त भूखण्डों पर अप्रार्थी संख्या 02 का आधिपत्य एंव कब्जा नहीं है, और मौके पर किसी के मकान बने हुए नहीं है, जबकि अप्राथी के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि मौके पर मकान बने हुए है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार शिव से मौके की जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 02 जियन्द पुत्र हसण, अचार पुत्र. कमाल,हसन पुत्र मारू,चम्पाराम पुत्र कोजाराम, पीराराम पुत्र कोजाराम,मोमद पुत्र हुसैन, गुलाब पुत्र हसण, समण पुत्र हसण, साकराराम पुत्र कोजाराम,कोजाराम पुत्र सेवाराम एंव भाखराराम पुत्र कोजाराम के क्रमशः मौके पर रांगे प्लीन्थ लेवल तक भरी हुई होना, मकान या किसी प्रकार का कब्जा नहीं होना मौके पर मकान निर्मित नहीं होने,मकान या किसी प्रकार का कब्जा नहीं होने,मौके पर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पत्थर डाले हुए होना बताया है। इससे प्रकट है कि नियम 157(ख) के विपरित पट्टे जारी किये गये है। इस प्रकार ग्राम पंचायत शिव की पत्रावली, मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि नियम 145 से 157(ख) एंव 167 की पूर्ण पालना नहीं की गयी है एंव निर्धारित प्रकिया को अपनाऐं एंव जॉच किये बिना ही नियम 157(ख) के प्रावधान के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 42, 43, 31, 32,27 ,28,41,40,33,34 एंव 29 दिनांक 06.06.2011 विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त करने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 42,43,31,32,27,28,41,40,33,34 एंव 29 दिनांक 06.06.2011 पट्टे निरस्त किये जाते है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर